

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- किकराली
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 209 सन 2018

अनवान :-

1. रामचन्द्र पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन अरसरजाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. मंजू पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
- 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा
88 ।

उपस्थित : श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 02.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा असरजाना के के खसरा न0 1 की 51.18बीघा खसरा न0 2 की 11.11 बीघा , खसरा न0 38 की 2.01 बीघा खसरा न0 39 की 44.01 बीघा भूमि थी जिसके वादी के दादा निकुराम पुत्र मधाराम 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार था।

वादी के दादा निकुराम पुत्र मधाराम जाति जाट फोट होने पर वाद भूमि उसकी पत्नि एवं उसकी तीन पुत्रों पर औद हुई जो वर्तमान खसरा न0 रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 35/61 के खसरा न0 1/2 की 7.0820हैक , खसरा न0 2/2 की 2.6560हैक खसरा न0 39/2 की 4.0840हैक कुल 13.8220हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का बहिब 1/4 हिस्सा व इसी प्रकार का खाता संख्या 34/35 के खसरा न0 306/4 की 12.5280हैक में से 10.962हैक भूमि सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता अर्थात वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों /पिता के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा है क्योंकि पैतृक सम्पति है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा का त्याग अपने भाईयों/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिब दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व राजीनामा शामिल मिसल किया गया।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा निकुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों/पिता के पक्ष में कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि न० रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 35/61 के खसरा न० 1/2 की 7.0820 हैक्, खसरा न० 2/2 की 2.6560 हैक् खसरा न० 39/2 की 4.0840 हैक् कुल 13.8220 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का बहिब 1/4 हिस्सा व इसी प्रकार का खाता संख्या 34/35 के खसरा न० 306/4 की 12.5280 हैक् में से 10.962 हैक् भूमि सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।


शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-किकराली

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-किकराली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. रामचन्द्र पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन अरसरजाना तहसील नोहर।

बनाम

वादी

1. जगदीश पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. मंजू पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 209 सन 2018 निर्णय दिनांक-02.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 35/61 के खसरा न0 1/2 की 7.0820हैक, खसरा न0 2/2 की 2.6560हैक खसरा न0 39/2 की 4.0840हैक कुल 13.8220हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का बहिब 1/4 हिस्सा व इसी प्रकार का खाता संख्या 34/35 के खसरा न0 306/4 की 12.5280हैक में से 10.962हैक भूमि सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाच हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Shiraj

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत-2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ़)

कैम्प कोर्ट-किकराली

उपखण्ड अधिकारी

नोहर (हनुमानगढ़)

कैम्प कोर्ट-किकराली